

प्रेषक,

भूपेन्द्र बहादुर सिंह,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 19 जुलाई, 2017

विषय- कन्नौज में छिबरामऊ-सौरिख-बिधूना मार्ग (एमडीआर-13) किमी 0.000 से 31.100 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु प्रभावित 21.6 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 1554 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन को सम्बोधित एवं आपको पृष्ठांकित भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्या-8बी/06/22/2017/ एफसी/148, दिनांक 14-7-2017 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में दिनांक 26-7-2017 का आहूत क्षेत्रीय सशक्त समिति की बैठक में सम्मिलित किया गया है। अतएव चाही गयी कतिपय बिन्दुओं पर अपेक्षित सूचनायें एवं तत्संबंधी अभिलेखों उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2- इस सम्बन्ध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र दिनांक 14-7-2017 प्रतिं प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ द्वारा सूचनायें एवं तत्संबंधी अभिलेखों शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,


(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव।